**कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल**

क्रमांक / एफ–5 / 1032 / 2021 / 10–11 / 3270 भोपाल, दिनांक 24/09/2021

प्रेषकः–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

**विषयः– खण्डवा जिले के अंतर्गत ग्राम गोदड़पुरा, तहसील पुनासा में गौशाला, धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु 0.800 हेक्टेयर वनभूमि प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, औंकारेश्वर मान्धाता जिला खण्डवा को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक6-MPB 067/2021-BHO दिनांक 12.08.2021

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

1– बिन्दु क्रमांक 1 के पालन में लेख है कि प्रस्तावित गौशाला धर्मार्थ चिकित्सालय एवं पुस्तकालय के निर्माण हेतु आवेदित स्थल 0.800 हेक्टेयर वनभूमि पर लगभग 20 वर्ष पुराना अतिक्रमण है। जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तत्कालीन अधिकारी / कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। वर्तमान में कार्यवाही की जाना संभव नहीं है।

2– बिन्दु क्रमांक 2 के पालन में लेख है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर खण्डवा का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त प्रमाण पत्र औपचारिक स्वीकृति के पूर्व आपको पृथक से प्रेषित किया जावेगा।

3– बिन्दु क्रमांक 3 के पालन में लेख है कि प्रस्तावित स्थल हेतु ऐसी कोई भी जगह उपलब्ध नहीं है, जहां प्रस्तावित योजना को बसाया जा सके। यह आस्था का स्थान है, बहुत भक्त लोग दर्शन के लिये आते हैं। अन्य स्थल पर बसाया जाना संभव नहीं है।

4– बिन्दु क्रमांक 4 के पालन में लेख है कि प्रस्तावित स्थल पर 06 सागौन के वृक्ष एवं 13 मिश्रित प्रजाति के वृक्ष कुल 19 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इन 19 वृक्षों को काटने की आवश्यकता नहीं है। अतः वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना नहीं बनाई गई है। यदि मान्य हो तो आवेदक संस्थान से प्रभावित 19 वृक्षों के विरूद्ध 190 वृक्षों की 2000 / – प्रति वृक्ष की दर से राशि वसूल की जावेगी। कृपया उक्त शर्त अधिरोपित करने का कष्ट करें।

कृपया प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

24/9/2021

(सुनील अग्रवाल)

–2–

GOI 2021

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 1032 / 2021 / 10–11 / 3271 भोपाल, दिनांक 24/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) खण्डवा वृत्त खण्डवा, म.प्र.।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, खण्डवा, मध्यप्रदेश।
3. प्रबंधक श्री मार्कण्डेय संन्यास आश्रम पब्लिक ट्रस्ट, औंकारेश्वर मान्धाता जिला खण्डवा, म.प्र

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

24/9/2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल